FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत .... मुकाम ....

किशनाराम .... बनाम .... लालाराम वगैरा

किस्म मुकदमा राज० काश्त० 111,128 RLRAct नं: 244/18 सन् 2018

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/10/18	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री जोगेन्द्र कुमार ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111,128 RLRAct राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 17/12/18 को पेश हो। [signature]	
17/12/18	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी मनवारा में पधारे हुए हैं अतः मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 31/12/18 को पेश हो। [signature]	
31/12/18	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। श्रीमान पीठासीन अधिकारी डिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 14/01/2020 को पेश हो। [signature]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:23:34 IST
Reason: SelfAttested

ख हुक्म

20/05/2020

14/01/19

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 16/04/19 को पेश हों।

16/04/19

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी बाद दौरान दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 29/07/19 को पेश हो।

29/07/19

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 05/11/19 को पेश हों।

05/11/19

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समक्ष तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विपक्षीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 20/01/2020 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

20/01/2020

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 03/03/2020 को पेश हों।

03/03/2020

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 20/05/2020 को पेश हों।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:23:34 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/05/2020	पत्रावली आज पेश हुई। कोविड-2019 के चलते कोई नहीं लिया गया। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 22/07/2020 को पेश हो।	
22/07/2020	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 28/10/20 को पेश हों।	
28/10/2020	प्रार्थी व वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनु0। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया की प्रार्थी व विपक्षीगणों की खातेदारी भूमि एक साथ आई हुई है। प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतो के बिच जो पुरानी मेडे व कोने आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है जिससे प्रार्थी को अपने खेत के कोनो का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य खेत के कोनो को लेकर हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत के कोनो का सही ज्ञान करने हेतु नेख्यमबन्दी करवानी आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नेख्यमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेख्यमबन्दी आदेश किया जावे। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेख्यमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बन्धित भू0अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतो की पुख्ता नेख्यमबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमाकराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:23:34 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु जिला बाड़मेर

नम्बर बेरी अहकाम रकम की त(?) में जारी हुए(?)

क्रमांक/आवेदन/2020/915

दिनांक :– 28/10/2020

राजस्व आवेदन संख्या –244/2018

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
श्री किरताराम पुत्र जोधाराम जाति–जाट निवासी–मेहराजाणियों की बेरी, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर		श्री लालाराम पुत्र कोशला वगैरा 17, निवासी–मेहराजाणियों की वेरी, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा–मेहराजोणियों की बेरी, पटवार मण्डल–बाटाडू, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 1901/1504 रकबा 23.08 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500/– जमा करवाकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक :– 28/10/2020

क्रमांक/आवेदन/2020/916-920

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, बाटाडू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री किरताराम पुत्र जोधाराम।
4. विप्रार्थीगण श्री लालाराम पुत्र कोशला वगैरा 17।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा।

-SA-
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.20 13:23:34 IST
Reason: SelfAttested